न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– कमल राम मीना, आर.ए.एस.

अपील सं0 :– 59/2017 **(223 आर.टी.एक्ट)**

उनवान

1. रामोतार पुत्र बनेसिंह जाति माली निवासी चौमा तहसील रामगढ़ जिला अलवर ।

..... अपीलांट

बनाम

1. बलबीरसिंह पुत्र किशनराम जाति जाट निवासी चौमा,
2. पूरण पुत्र किशनराम जाति जाट निवासी चौमा तहसील रामगढ़ जिला अलवर राज0
3. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार रामगढ़ तहसील रामगढ़ जिला अलवर ।

..... असल रेस्पोडेन्टान

4. बुधाराम पुत्र बूचाराम जाति प्रजापत निवासी चौमा तहसील रामगढ़ जिला अलवर राज0 ।

..... तरतीबी रेस्पो0

उपस्थित :–
1. श्री देवेन्द्र जैन अभिभाषक अपीलांट ।
2. श्री जगदीश चन्द सतीजा, अभिभाषक रेस्पो0 ।

::: निर्णय :::

दिनांक :–22.12.2017

यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर रामगढ़ के निर्णय दिनांक 12.05.2017 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण ने अधीनस्थ न्यायालय में एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 आर.टी.एक्ट इस आशय का प्रस्तुत किया कि वादीगण के कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी हाल ख0 नं0 1893 रकबा 0.26 है0 वादी बलबीर की व ख0 नं0 1894 रकबा 0.26, वादी सं0 2 पूरण की कब्जे काश्त खातेदारी की है जिससे लगती हुई मिन प्रतिवादी सं0 1 रामोतार की आराजी ख0 नं0 1895 रकबा 0.21 है0 वाके ग्राम चौमा तहसील रामगढ़ में स्थित है जो विवादित आराजी है । ग्राम चौमा का हाल ही सम्वत् 2058 में बन्दोबस्त हुआ है जिससे नया राजस्व रेकार्ड तैयार किया गया है जिसको पुराने राजस्व रेकार्ड के मुताबिक बनाना चाहिए था जबकि वादीगण के नक्शें को कम कर दिया है जो

खिलाफ कानून है जिसे दुरूस्त कराया जाना आवश्यक है । अतः वाद वादीगण डिक्री करने का निवेदन किया । अधीनस्थ न्यायालय ने दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को तलब किया । विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली राजस्व लोक अदालत शिविर/कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत चौमा में प्रस्तुत हुई जिसमें उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत राजीनामें के अनुसार वादी का वाद दि0 12.05.2017 को डिक्री कर दिया जिस निर्णय व डिक्री दि0 12.05.2017 से व्यथित होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है ।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । रेस्पो0 को जर्ये सम्मन तलब किया गया । तहत अदालत की पत्रावली तलब करते हुए विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गयी ।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में कथन किया कि उपखण्ड अधिकारी के आदेश दिनांक 12.5.2017 की अपील पेश की है जिसमें बलबीर, पूरन ने धारा 88, 89, 188 आर.टी.एक्ट का दावा रामोतार वगैरा के खिलाफ तहत न्यायालय में प्रस्तुत किया था । प्रतिवादी सं0 1 अपीलांट है । तहत न्यायालय के आर्डर में पेज नं0 2 का अवलोकन कराया जिसमें उभयपक्षकारान उपस्थित । वादी व प्रतिवादी दोनों उपस्थित । यह खिलाफ रेकार्ड व खिलाफ कानून गलत अंकित किया है । आगे निर्णय में लिखा है कि समझाईस राजीनामा पेश किया, गलत है । राजीनामा आदेश 23 नियम 2 के तहत प्रस्तुत होता है । उन्होंने आगे कहा कि तहत न्यायालय की पत्रावली में कोई राजीनामा नहीं है । तहत न्यायालय ने किस आधार पर लिख दिया क राजीनामा पेश किया है तो कहां है । यह गलत है । विवादित आराजी को नक्शा नये व पुराने से दुरूस्त कर दें । पत्थर गढ़ी कर दे, यह क्या आदेश है । इसमें दो बाते है, एक बात पथरगढ़ी की व दूसरी रेकार्ड दुरूस्ती की । ये दोनों ही कार्यवाही आर.टी.एक्ट में नहीं आती हैं । ये एल.आर.एक्ट में आती है । इसमें सपठित धारा एल.आर. भी नहीं लिखी हैं । साथ ही एल.आर.एक्ट की धारा 125 का भी हवाला नहीं है ।

उन्होंने आगे कहा कि दावे में जो नया पुराना सजरा है, उसे देखें । जो निर्णय हुआ है उसे पढ़े, उसमें क्या साबिक नम्बरों का हवाला है । साबिक और हाल नम्बरों का मिलान करें । उन्होंने आगे कहा कि दावे में जो रीलिफ चाही गयी है उसका डिक्री के नम्बरान से मिलान करें । प्लीडिंग से निर्णय मेल नहीं खा रहा है तो कौनसा राजीनामा है, क्या डिक्री है । नम्बरों में यदि कोई दुरूस्ती है तो एल.आर.एक्ट की धारा 111 में आना चाहिए । इसी तरह से पत्थरगढ़ी की धारा भी नियत है । आदेश 23 नियम 3 सी.पी.सी. में राजीनामा लिखित में हो, सभी पक्षकारों के हस्ताक्षर हो तथा सभी पक्षकार न्यायालय में हाजिर हो, न्याययालय उसे तस्दीक करें और रेकार्ड में अंकन करे । दिनांक 12.5.2017 की आर्डरशीट में पूरण नहीं है । तहत न्यायालय ने सभी पक्षकारों को नहीं बताया कि कैम्प में सभी को उपस्थित होना है । बहस जारी रखते हुए आगे कहा कि तहसीलदार की रिपोर्ट नहीं है तथा न ही जवाब है । इसके साथ ही तहसीलदार व पूरण की उपस्थिति नहीं है । जहां तक इनकी आपत्ति की अपील मैन्टेनेबिल नहीं है । इस पर जवाब है कि सी.पी.सी. आदेश 23 नियम 3 को पढ़े इसमें क्या राजीनामा है । तहसीलदार व वादी सं0 2 मिसिंग है कोई राजीनामा नहीं है । वादी प्रभावशाली है जिसने जोर देकर निर्णय करा लिया । यह राजीनामा कानूनन मान्य नहीं है ।

उन्होंने आगे कहा कि यदि प्रकरण में जब कोई लिखित में राजीनामा ही नहीं हुआ है तो लोक अदालत का निर्णय कैसे हो सकता है । यदि वादी डिक्री कराना चाहता है तो लिखित में राजीनामा होना चाहिए तथा सभी पक्षकारों के हस्ताक्षर होने चाहिए तभी सही निर्णय माना जावेगा । तहत न्यायालय को दोनों पक्षों को सुनना चाहिए । इसलिए अपील अपीलांट स्वीकार करने का निवेदन किया । उन्होंने अपने समर्थन में 2017 आर.आर.टी. पेज 461, 446, 2016 आर.आर.टी. पेज 966, 1995 आर.आर.डी. पेज 658, 2009 आर.आर.टी. पेज 849, 2003 आर.आर.डी. पेज 180 व ए.आई.आर. 2012 पेज 6 पेश की ।

विद्वान अभिभाषक रेस्पो0 ने प्रतिउत्तर बहस में बताया कि जो एडवान्स एग्रीमेन्ट किये हैं वे आउट ऑफ फैक्ट व फ्रोड की श्रेणी में हैं । यदि इस अपील को सुनने का क्षेत्राधिकार है तो मैरिट पर बहस को स्वीकार किया जावें । इनका मामला ये बनता है कि प्रकरण में यदि इनके अनुसार राजीनामा सही नहीं है तो उसकी कानूनी प्रकिया बताये । तहत न्यायालय ने लोक अदालत की भावना से निर्णय किया है । यदि निर्णय फ्रोड हो, राजीनामा गलत हो, निर्णय लोक अदालत का है तो धारा 21 में अपील मैन्टेनेबिल नहीं है । इसका अपीलांट ने कोई जवाब नहीं दिया । लोक अदालत की अपनी एक प्रकिया है । वहां समझाईस की जाती है तब निर्णय होता है । यदि इसमें आगे कोई परेशानी नहीं हो तो इसे भी देखा जाता है । अपीलांट द्वारा प्रस्तुत कानूनी नजीरें इस प्रकरण पर लागू नहीं होती है । यदि लोक अदालत में फ्रोड हुआ है तो भी अपील के जरिये चैलेन्ज नहीं कर सकते हैं, 226 में ही रिट कर सकते हैं । यहां मामला यह है कि क्या मैरिट की बहस को वरियता दी जा सकती है या पहले कानूनी बिन्दु तय होगा । इसलिए तहत न्यायालय का निर्णय व डिक्री सही है । इनकी अपील अपीलांट खारिज योग्य है । उन्होंनें अपने समर्थन में डी.एन. जे. 2017 पेज 852, लीगल पार्ट 1987 पेज 276 प्रस्तुत किये ।

जवाब उल जवाब में विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने निवेदन किया कि इस एक्ट में इनका कोई दावा ही नहीं है । मेरा यह कहना है कि तहत न्यायालय का निर्णय पढ़े, इसमें लोक अदालत पढ़े या कैम्प कोर्ट पढ़े । लोक अदालत में एक अध्यक्ष व मैम्बर होते हैं । इसमें उपखण्ड अधिकारी के ही हस्ताक्षर है । इसमें कहीं भी मैम्बर या अध्यक्ष के हस्ताक्षर नहीं है । ये लोक अदालत ही नहीं है । इसलिए अपील अपीलांट स्वीकार करने का निवेदन किया ।

हमने विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया ।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट का मुख्य तर्क यही रहा है कि जो निर्णय किया गया है वह लोक अदालत की भावना से नहीं किया गया है क्योंकि जो निर्णय किया उसमें किसी भी सदस्य या अध्यक्ष के हस्ताक्षर नहीं हैं । केवल मात्र उपखण्ड अधिकारी की हैसियत से हस्ताक्षर किये गये हैं । साथ ही लोक अदालत का कोई फार्म भी नहीं भरवाया गया है ।

अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि तहत न्यायालय ने जो निर्णय पारित किया है वह लोक अदालंत की भावना से पारित नहीं किया है क्योंकि इसमें न तो पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत राजीनामा भी उपलब्ध नहीं है तथा न ही पक्षकारान से लोक अदालत की प्रकिया अनुसार कोई फार्म नहीं भरवाया गया है । आदेशिका अवलोकन उपरान्त सभी पक्षकार भी कैम्प कोर्ट में उपस्थित नहीं हुए हैं ।

हमने तहत अदालत के निर्णय का तथा पत्रावली का अवलोकन किया । यह सही है कि यह निर्णय अदालत में नहीं होकर कैम्प कोर्ट/लोक अदालत में पत्रावली पेश होने पर हुआ है । प्रकरण का मुख्य विषय सर्वप्रथम यह है कि क्या यह निर्णय लोक अदालत के निर्णय की परिभाषा में आता है । लोक अदालत के लिए अध्यक्ष एवं सदस्य होते हैं तथा उनके मध्य राजीनामा पेश किया है, वह भी अपूर्ण प्रतीत होता है । निर्णय पर अध्यक्ष एवं सदस्य के रूप में निर्णय पर हस्ताक्षर नहीं है । अतः यह निर्णय लोक अदालत के आदेश की परिभाषा में नहीं पाया जाता है बल्कि कैम्प कोर्ट का निर्णय है । जहां तक निर्णय का प्रश्न है । आदेश अपने आपमें अपूर्ण है जो रेकार्ड व तथ्यों के अनुसार नहीं है ।

इसलिए तहत न्यायालय का निर्णय व डिक्री निरस्त किये जाने योग्य है और अपीलांट की अपील स्वीकार की जाती है तथा प्रकरण तहत न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते हैं ।

अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है । विद्धान अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर रामगढ़ का निर्णय व डिक्री दि0 12.05.2017 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण उपखण्ड अधिकारी रामगढ़ को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि दोनों पक्षों को साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर एवं तनकीयात कायम करते हुए गुणावगुण व पुनः निर्णय पारित करें । खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें ।

निर्णय आज दिनांक 22.12.2017 को मेरे द्धारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(कमल राम मीना)
राजस्व अपील प्राधिकारी
अलवर